रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2247] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939
No. 2247] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/SRAVANA 19, 1939

indiacode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2563(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1035 (अ), तारीख 07 मई, 2010 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 डी के 0.000 कि.मी. से 127.000 कि.मी. (जैतपुर–सोमनाथ सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, और सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 08 जून, 2016 और सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. 248(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए हैं;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग 8डी पर 0.000 किमी से 127.600 किमी तक जैतपुर–सोमनाथ सेक्शन के रारविप चरण–III के अंतर्गत बीओटी (टोल) डीबीओएफटी आधार पर चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग में विकास और उक्त खंड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु मैसेर्स जैतपुर–सोमनाथ टोलवेज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय नरमन पॉइंट सी–32, जी–ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला, कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही संदर्भित किया गया है), के साथ करार किया है।

और यतः, केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. सं. 334(अ), तारीख 07.02.2013 और संशोधन अधिसूचना का.आ. सं. 1219(अ), तारीख 07.05.2015 द्वारा

रियायतग्राही मैसर्स जैतपुर–सोमनाथ टोलवेज लिमिटेड, मुंबई को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से और करार में यथा – विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक गुजरात राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी पर 0.000 किमी से 127.600 किमी तक जैतपुर–सोमनाथ सेक्शन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उदग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है।

और यतः, प्राधिकरण द्वारा 10.11.2016 को बीओटी रियायत करार के पूर्व समापन के कारण बीओटी रियायत करार को समाप्त कर दिया गया। बीओटी रियायत करार के समाप्त होने के परिणामस्वरूप, भाराराप्रा तारीख 07.02.2013 के रियायत करार/शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण का कार्य जारी रखे हुए है। तथापि, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, भाराराप्रा इस शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ताशुल्क का संग्रहण करेगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथा–संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 334(अ), तारीख 07.02.2013 और का.आ. 1219(अ), तारीख 07.05.2015 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गईं हैं अथवा करने में लोप करा दी गईं हैं, चार और अधिक के लेन के खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) सड़क की कुल समकक्ष लंबाई 101.138 किमी [86.528 कि.मी. सड़क और 1461.489 मी. की संरचनाओं सहित (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) और समकक्ष लंबाई 14.61 कि.मी. है] और बाइपासों जिनकी कुल लंबाई 35.500 कि.मी. [399.803 मी. की संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) और समकक्ष लंबाई 4.00 कि.मी. है] और प्रत्येक बाइपास की लागत दस करोड़ रूपए या अधिक है, के उपयोग के लिए नीचे सारणी–1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भं.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जूनागढ़ जिले में गदोई गाँव के पास, 51.250 किमी, (डिजाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 53.900 किमी)	38.082* (नीचे पैरा–3 में दर्शाई गईं संरचनाओं की 717.550 मी. की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
गिर सोमनाथ जिले में दारी गाँव के पास, 108.980 किमी, (डिजाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 113.540 किमी)	48.446**(नीचे पैरा–3 में दर्शाई गईं संरचनाओं की 344.136 मी. की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* वर्तमान में, पूरी की गयी लंबाई 37.292 किमी के लिए ही शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा। शेष लंबाई में निर्माण के पूरा होने के पश्चात, पूरी की गई लंबाई के लिए शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

** वर्तमान में, पूरी की गयी लंबाई 48.156 किमी के लिए ही शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा। शेष लंबाई में निर्माण के पूरा होने के पश्चात, पूरी की गई लंबाई के लिए शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लंबाई हेतु शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है			दर जिस पर शुल्क संदेय है
	संरचना का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
जूनागढ़ जिले में गदोई गाँव के पास, 51.250 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 53.900 किमी)	रारा– 8डी के जैतपुर बाइपास के 0.000 किमी (डिजाइन चैनेज) पर शुरू होकर और 4.700 किमी (डिजाइन चैनेज) पर मिलते हुए	4.505 (नीचे पैरा–3 में दर्शाई गईं संरचनाओं की 194. 803 मी. की लंबाई को छोड़कर)	68.85	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	रारा– 8डी के जूनागढ़ बाइपास के 20.850 किमी (डिजाइन चैनेज) पर शुरू होकर और 40. 650 किमी (डिजाइन चैनेज) पर मिलते हुए	19.659* (नीचे पैरा–3 में दर्शाई गईं संरचनाओं की 141 मी. की लंबाई को छोड़कर)	100.00	
गिर सोमनाथ जिले में दारी गाँव के पास, 108.980 किमी, (डिजाइन चैनेज)(विद्यमान चैनेज 113.540 किमी)	रारा– 8 डी के केशोद बाइपास के 63.600 किमी (डिजाइन चैनेज) पर शुरू होकर और 75.000 किमी (डिजाइन चैनेज) पर मिलते हुए।	11.336 (नीचे पैरा–3 में दर्शाई गईं संरचनाओं की 64 मी. की लंबाई को छोड़कर)	63.70	

* वर्तमान में, जूनागढ़ बाइपास की लंबाई पूरी नही हुई। जूनागढ़ बाइपास के पूरा होने के पश्चात, पूरी की गयी लंबाई के लिए शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
जूनागढ़ जिले में गदोई गाँव के पास, 51.250 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 53.900 किमी)	1.053	10.53	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
गिर सोमनाथ जिले में दारी गाँव के पास, 108.980 किमी, (डिजाइन चैनेज) (विद्यमान चैनेज 113.540 किमी)	0.408	4.08	
कुल	**1.461**	**14.61**	

ब्यौरा निम्नानुसार हैं:
रारा–8डी के 51.250 किमी पर गदोई शुल्क प्लाजा

	(चैनेज)		लंबाई(मी.)
	किमी से	किमी तक	
1.	12+387.600	12.554+400	166.800
2.	28+212.500	28+287.500	75.000*
3.	30+092.000	30+158.000	66.000*
4.	46+270.836	46+470.635	199.800
5.	49+166.575	49+362.574	196.000
6.	55+917.360	55+981.360	64.000
7.	56+769	56+723.623	90.95*
8.	2+747.598	2+852.401	104.803
9.	0+673.209	0+763.209	90.000
			1053.353

IndiaCode

*संरचना की लंबाई पूरी नही हुई और निर्माण के पूरा होने के पश्चात, पूरी की गयी लंबाई के लिए शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा। वर्तमान में, पूरी की गयी 821.403 मी. की लंबाई के लिए ही शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

रारा–8डी के 108.980 किमी पर दारी शुल्क प्लाजा

	(चैनेज)		लंबाई(मी.)
	किमी से	किमी तक	
1.	73+459	73.523	64.000
2.	99+098.162	99+171.362	73.200*
3.	99+399.766	99+582.766	183.000*
4.	112+894.458	112+982.394	87.936
			408.136

* संरचना की लंबाई पूरी नही हुई है और निर्माण के पूरा होने के पश्चात, पूरी की गयी लंबाई के लिए शुल्क शोध्य और संदेय होगा। वर्तमान में, पूरी की गयी 151.936 मी. लंबाई के लिए शुल्क शोध्य और संदेय होगा।

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017–18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/– रूपए (दो सौ पैतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारिणी–1 में यथा–उल्लिखित आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।

11. परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 466.76करोड़ रुपए (गदोई शुल्क प्लाजा की प्रभावी लंबाई के लिए) + 665.72 करोड़ (दारी शुल्क प्लाजा की प्रभावी लंबाई के लिए) = 1132.48 रुपये (एक हजार एक सौ बत्तीस करोड़ और अड़तालीस लाख रुपये मात्र) है। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/669/17–18/सीओ/जीसी–जैतपुर–सोमनाथ]

दक्षिता दास संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWYAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2017

S.O. 2563(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E), dated the 07th May, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch from km 0.000 to km 127.000 (Jetpur-Somnath Section) of National Highway No. 8D in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E), dated the 5th Dec, 2008, and amended vide GSR 950(E), Dt 03.12.2010, GSR 15(E), Dt. 12.01.2011 and GSR 756(E), Dt. 12.10.2011, G.S.R 778(E), dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E), dated 21st November, 2014, G.S.R. 2(E), dated 29th December, 2014, G.S.R 220(E), dated 23rd March, 2015, G.S.R 585(E), dated 08th June, 2016, G.S.R 1114(E), dated 2nd December, 2016 and G.S.R 248(E), dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority entered into an Agreement with M/s Jetpur-Somnath Tollways Limited, having its registered office at Narman Chamber, C-32, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for development of Jetpur-Somnath Section from km 0.000 to km 127.600 on National Highway No. 8D to four lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section on BOT (Toll) DBFOT pattern under NHDP Phase-III.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 334(E), dated 07.02.2013 and amendment notification S.O. No. 1219(E), dated 07.05.2015 authorized the Concessionaire M/s Jetpur-Somnath Tollways Limited, Mumbai, for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch of Jetpur-Somnath section from km 0.000 to km 127.600 on National Highway No. 8D in the State of Gujarat on BOT (Toll) basis on and from the Date of Commercial Operation declared by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement.

And whereas, the BOT Concession Agreement was foreclosed on account of termination of BOT Concession Agreement by the Authority on 10.11.2016. Consequent upon termination of BOT Concession Agreement, NHAI is continuing the user fee collection as per provisions in Concession Agreement/Fee Notification dated 07.02.2013. However, w.e.f. date of publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under this fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notifications number S.O. 334 (E) dated 07.02.2013 and S.O. No. 1219(E) dated 07.05.2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of 101.138 km [including 86.528 km road and 1461.489 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 14.61 km] for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 35.500 km [excluding 399.803 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 4.00 km] costing each Bypass Rupees Ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza (s) for the distance specified for each such Fee Plaza (s):

Location of Fee Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
km 51.250 (Design Chainage) (Existing Chainage km 53.900) near Gadoi village in Dist. Junagadh	38.082* (Excluding 717.550 m length of structures indicated in Para-3 below)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 108.980 (Design Chainage) (Existing Chainage km 113.540) near Dari village in Dist. Gir Somnath	48.446** (Excluding 344.136 m length of structures indicated in Para-3 below)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*** At present, the fee shall be levied and collected for the completed length of 37.292 km.** After completion of construction in balance length, the fee shall be levied and collected for the length as completed.

**** At present, the fee shall be levied and collected for the completed length of 48.156 km.** After completion of construction in balance length, the fee shall be levied and collected for the length as completed.

2. In addition to above, the fee shall also be due and payable for the use of the following bypass (es) at the following Fee Plaza(s) for the length of bypass specified for such Fee Plaza(s):

Location of Fee Plazas (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable			Rate at which fee is payable
	Name of Structure	Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)	
km 51.250 (Design Chainage) (Existing Chainage km 53.900) near Gadoi village in Dist. Junagadh	Jetpur bypass taking off at km. 0.000 (design chainage) and joining at km. 4.700 (design chainage) of NH-8D	4.505 (Excluding 194.803 m length of structures indicated in Para-3 below)	68.85	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Junagadh bypass taking off at km. 20.850 (design chainage) and joining at km. 40.650 (design chainage) of NH-8D	19.659* (Excluding 141 m length of structures indicated in Para-3 below)	100.00	
km 108.980 (Design Chainage) (Existing Chainage km 113.540) near Dari village in Dist. Gir Somnath	Keshod bypass taking off at km. 63.600 (design chainage) and joining at km. 75.000 (design chainage) of NH-8D	11.336 (Excluding 64 m length of structures indicated in Para-3 below)	63.70	

*** At present, the length of Junagadh bypass is not complete. After completion of construction of Junagadh bypass, the fee shall be levied and collected for the completed length.**

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	Rate at which fee is payable
km 51.250 (Design Chainage) (Existing Chainage km 53.900) near Gadoi village in Dist. Junagadh	1.053	10.53	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
km 108.980 (Design Chainage) (Existing Chainage km 113.540) near Dari village in Dist. Gir Somnath	0.408	4.08	
Total	**1.461**	**14.61**	

The details are as under:—

Gadoi Fee Plaza at km 51.250 of NH-8D

	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	12+387.600	12.554+400	166.800
2	28+212.500	28+287.500	75.000*
3	30+092.000	30+158.000	66.000*
4	46+270.836	46+470.635	199.800
5	49+166.574	49+362.574	196.000
6	55+917.360	55+981.360	64.000
7	56+769	56+723.623	90.95*
8	2+747.598	2+852.401	104.803
9	0+673.209	0+763.209	90.000
			1053.353

*** The length of structure is not complete and after completion of construction, the fee shall be levied and collected for the completed length. At present, fee shall be levied and collected for the completed length of 821.403 m.**

Dari Fee Plaza at km 108.980 of NH-8D

	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	73+459	73+523	64.000
2	99+098.162	99+171.362	73.200*
3	99+399.766	99+582.766	183.000*
4	112+894.458	112+982.394	87.936
			408.136

*** The length of structure is not complete and after completion of construction, the fee shall be levied and collected for the completed length. At present, fee shall be levied and collected for the completed length of 151.936 m.**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The present value of Capital Cost of the Project is Rs. 466.76 Crore (for influence length of Gadoi Fee Plaza) + Rs. 665.72 Crore (for influence length of Dari Fee Plaza) = Rs. 1132.48 Crore (Rupee One Thousand One Hundred Thirty Two Crore and Forty Eight Lakh only). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/669/17-18/CO/GC-Jetpur-Somnath]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.12 11:50:33 +05'30'